

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

शैक्षिक अनुभाग (पी.जी.)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

सं.एफ.4-7/डी.एम.सी.-पंजी./आर.डी./2018-शैक्षिक

दिनांक : 25.10.2018

ज्ञापन

**विषय :** दिल्ली मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1997 की धारा, 15(6) - सभी रेजीडेंट डॉक्टरों द्वारा दिल्ली मेडिकल काउंसिल अधिनियम का अनिवार्य अनुपालन करने संबंधी।

**संदर्भ :** का.जा.सं.एफ.4-7/डी.एम.सी.-पंजी./आर.डी./2018-शैक्षिक, दिनांक 09.08.2018

उपर्युक्त विषयक दिनांक 09.08.2018 के समसंख्यक इस कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में जो कि अन्य बातों के साथ यह दर्शाता है कि संस्थान में अपनी रेजीडेंसी जारी रखने के लिए सभी रेजीडेंट डॉक्टरों को तुरंत प्रभाव से अपने आपको दिल्ली मेडिकल काउंसिल, 1997 की धारा 15(6) के तहत पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।

यह देखा गया है कि दिनांक 09.08.2018 के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पश्चात भी रेजीडेंट डॉक्टरों द्वारा दिल्ली मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1997 की धारा 15(6) का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः सभी रेजीडेंट डॉक्टरों को, एतद्वारा, पुनः यह सलाह दी जाती है कि वह संस्थान में अपनी रेजीडेंसी जारी रखने के लिए तुरंत प्रभाव से दिल्ली मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1997 की धारा 15(6) के तहत अपना पंजीकरण करवाएं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


संजीव लालवानी

(डॉ. संजीव लालवानी)

कुल-सचिव

वितरण :

1. सभी केंद्र प्रमुख : यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सभी
2. सभी विभागाध्यक्ष: रेजीडेंट डॉक्टर दिल्ली मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत हैं।
3. निदेशक महोदय (अ.भा.आ.सं., दिल्ली) के प्रधान निजी सचिव
4. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) के निजी सचिव
5. उप-निदेशक (प्रशासन) के निजी सचिव
6. कंप्यूटर सुविधा : इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस ज्ञापन को एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।



**ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES**  
**ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110029**  
**ACADEMIC SECTION (PG)**

No.F.4-7/DMC-REG/RD/2018-Acad.

Dated: 25.10.2018

**MEMORANDUM**

**Subject: Section 15(6) of Delhi Medical Council Act, 1997 – Mandatory compliance of the Delhi Medical Council Act by all the Resident Doctors regarding**


**Ref: OM No.F.4-7/DMC-REG/RD/2018-Acad., dated 09.08.2018**

\*\*\*\*\*

In continuation of this OM of even number, dated 09.08.2018 on the subject noted above which inter-alia provides that it is mandatory to all the Residents to register themselves under Section 15(6) of Delhi Medical Council, 1997 with immediate effect to continue their residency in the Institute.

It has been observed that after issuance of OM dated 09.08.2018, Section 15(6) of Delhi Medical Council Act, 1997 is not being followed by the Resident Doctors. Therefore, all the Resident Doctors are hereby once again advised to obtain Registration under Section 15(6) of Delhi Medical Council Act, 1997 with immediate effect to continue their residency in the Institute.

This issues with the approval of the Competent Authority

  
( Dr. Sanjeev Lalwani )  
Registrar

**Distribution:**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. All Chief of Centres           | : To ensure that all the Resident Doctors under |
| 2. All Head of the Departments    | : their administrative control have DMC         |
|                                   | Registration.                                   |
| 3. PPS to Director (AIIMS, Delhi) |   |
| 4. PS to Dean (Acad.)             |   |
| 5. PS to Dy. Director (Admn.)     |   |
| 6. Computer Facility              | : With the request to upload this Memo in AIIMS |
|                                   | website   |

*Sh. Pawan Kumar for n.a. please.*

*Smt. Ankita please.*

*Hanraj*

*30/10/2018*

*WATK 21/10/18.*

P.7.0